सरदार वल्लभभाइ पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of SI (Band) -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Sub-Inspector (Band) is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No. 19011/ 1/2009/Estt/RRs /SI(Band)/A-5 Dated 11th May, 2018

Signature valid

Digitally signed by K MADHUKAR SHETTY
Date: 2018.05.11 1[illegible]:36:02 IST
Reason: Approved

S1 Band

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group-C Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Director : Chairman 2. Assistant Director : Member 3.Administrative Officer : Member	Not applicable.

[F. No. 23011/103/2011-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सा.का.नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद उप निरीक्षक (बैंड) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप निरीक्षक (बैंड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप निरीक्षक (बैंड) भर्ती नियम, 2018 है।

   (ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निरीक्षक (बैंड)	01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' गैर राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 5 (रू. 29200–92300)	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति –** अ) प्रधान आरक्षक (बैंड) जिनकी वेतन मैट्रिक्स के स्तर –2, रू. 19900–63200/– में 13 वर्षीय नियमित सेवा हो। **टिप्पण –1** जंहा ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वंहा उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

			प्रतिनियुक्ति – केन्द्रीय पुलिस संगठनों/ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/ राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से ; (i) जो समरूप पद रखने वाले हों ; या (ii) जिन्होंने प्रधान आरक्षक (बैंड) जिनकी वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4, रू. 25,500–81,100/– में 05 वर्षीय नियमित सेवा होनी चाहिए। टिप्पण – 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण – 2 प्रतिनियुक्ति कि अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण – 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु –सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसका परिमाण क्या है ?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) निम्न युक्त होगी – 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड–2 या ग्रेड–3), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा सं. 23011/41/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 7th March, 2018

G.S.R. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Ministry of Home Affairs Sub-Inspector (Band) Recruitment Rules, 1984 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector (Band) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Sub-Inspector (Band) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**-The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub-Inspector (Band).	01* (2018) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300)	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** (a) Head Constable (Band) with thirteen years' regular service in level-2 in the pay matrix Rs.19900-63200. **Note 1:** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years', whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officials from amongst the Central Police Organisations/Central Armed Police Forces/State Police Organisations,– (i) holding analogous post; or

			(ii) Head Constable (Band) with five years regular service in level-4 in the pay matrix Rs. 25500-81100, **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Chairman 2. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member 3. Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member	Not applicable.

[F. No. 23011/41/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.